# बिहार सरकार
## उद्योग विभाग

### संकल्प

पटना, दिनांक :– 30/05/25

संख्या–3(स०) / उ०स्था०(आरोप)03 / 2023(खंड)–2504 / मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी, पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी एवं युवा उद्यमी योजना तथा पी०एम०एफ०एम०ई० तथा पी०एम०ई०जी०पी० योजना में असंतोषजनक उपलब्धि, रैकिंग में कमी एवं योजनाओं में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण ठीक से नहीं करने के लिए जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के आदेश ज्ञापांक–740 दिनांक 10.03.2023 द्वारा श्री सुशील कुमार, कार्यकारी प्रबंधक–सह–प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ के स्थान पर श्री दीक्षित स्वेतम, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ का प्रभार दिया गया।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी एवं युवा उद्यमी योजना तथा पी०एम०एफ०एम०ई० तथा पी०एम०ई०जी०पी० योजना में असंतोषजनक उपलब्धि के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–1826 दिनांक 16.03.2023 द्वारा श्री सुशील कुमार, कार्यकारी प्रबंधक–सह–प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को निलम्बित करते हुए मुख्यालय–उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

विभागीय पत्रांक–1872 दिनांक 20.03.2023 द्वारा श्री सुशील कुमार, निलम्बित प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ के विरुद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 03.04.2023 को अपना बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने हेतु 15 दिनों के अतिरिक्त समय की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक–2153 दिनांक 05.04.2023 द्वारा श्री कुमार को दिनांक 10.04.2023 के पहले अपना बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 06.04.2023 को अपना बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

पुनः विभागीय योजनाओं में असंतोषजनक उपलब्धि के लिए विभागीय पत्रांक–3497 दिनांक 13.06.2023 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध एक अन्य आरोप–पत्र गठित किया गया। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 27.06.2023 को अपना बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय योजनाओं में असंतोषजनक उपलब्धि के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–5774 दिनांक 13.12.2022 द्वारा पूर्व में आरोप वर्ष 2022–23 के लिए श्री कुमार को चेतावनी के साथ निन्दन की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

दिनांक 06.04.2023 एवं 27.06.2023 को श्री कुमार से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री सुशील कुमार, निलम्बित कार्यकारी प्रबंधक–सह–प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को भविष्य के लिए सचेत करते हुए निलम्बन से मुक्त कर उनका पदस्थापन मुख्यालय में करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में श्री सुशील कुमार, निलम्बित कार्यकारी प्रबंधक–सह–प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को भविष्य के लिए सचेत करते हुए निलम्बन से मुक्त कर पदस्थापन मुख्यालय में किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(राधाकृष्ण चौहान)
सरकार के अवर सचिव

(कृ.पृ०उ.....)

ज्ञापांक :–
3(स.)/उ.स्था.(आरोप)03/2023 खंड

पटना, दिनांक :– ........................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी.डी. में) एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

निबंधित ज्ञापांक :– 2504

पटना, दिनांक :– 30/05/25

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णियाँ/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03(स.), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री सुशील कुमार, कार्यकारी प्रबंधक–सह–प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ, पदस्थापन उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई.टी. मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Chauhan 30/5/25
सरकार के अवर सचिव